76

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1080–तीन/2011 निगरानी – विरूद्ध –, आदेश दिनांक 27–4–2011 – पारित द्वारा – आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 96/2010–11 निगरानी

1– शेर सिंह पुत्र निक्कूराम जाट
2– अमर सिंह पुत्र निक्कूराम जाट
निवासीगण ग्राम कराहल
तहसील कराहल जिला श्योपुर ——आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 7-08-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 96/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–4–2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 32/2004–05 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 10–11–2005 से आवेदकगण को म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत निम्नानुसार भूमि का व्यवस्थापन किया :–

क0	नाम व्यवस्थापिती	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	रकबा
1–	शेर सिंह पुत्र निक्कूराम जाट	कराहल	1359 मि.1	9 वीघा 10 विसवा
2–	अमर सिंह पुत्र निक्कूराम जाट	,,	1359 मि.2	7 वीघा
			1361/2	1 वीघा 16 विसवा
			1363 मि.1	1 वीघा

अनुविभागीय अधिकारी कराहल ने शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण कमांक 132/09-10 बी 121 पॅजीबद्ध किया तथा शिकायती तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 19-7-10 कलेक्टर श्योपुर को प्रेषित किया, जिस पर से अपर कलेक्टर जिला श्योपुर ने प्रकरण कमांक 44/2009-10 कुल 13 आवंटितयों के विरूद्ध पॅजीबद्ध किया , जिसमें आवेदकगण भी सम्मिलित हैं। अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण में सुनवाई करके आदेश दिनांक 28-3-2011 पारित किया तथा आवेदकगण के हित में हुआ व्यवस्थापन निरस्त करते हुये भूमि पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम अंकित करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 96/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-4-2011 से निगरानी निरस्त कर दी। आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 28-3-2011 में निकाले गये निष्कर्षो पर गौर किया गया। अपर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 28-3-2001 में निष्कर्ष निकाला है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपान ने ज्ञापन कमांक एफ-30-18/ 2002/सात-2 ए दिनांक 21 जनवरी 2003 से प्रदेश में काविलकास्त भूमि के आवंटन की प्रकिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, इसके वाद भी तहसीलदार कराहल ने प्रकरण कमांक 32/2004-05 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2005 से आवेदकगण को भूमि बंटन का अधिकार न होते हुये भी भूमि बन्टन किया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह भी ध्यान में आया है कि क्या वर्ष 2005 में नायव तहसीलदार को भूमि बन्टन करने की शक्तियॉ प्राप्त रही हैं :-

" तत्समय भूमि बन्टन हेतु प्रचलित किये गये विशेष अभियान पर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई रिट पिटीशन कमांक 2496/2002 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2002 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन प्रतिबन्धित कर दिया गया था। तदुपरांत मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ने ज्ञापन कमांक एफ-30-18/2002/सात-2-ए दिनांक 21-1-2003 जारी करके भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई थी। इसके वाद तहसीलदार / नायव तहसीलदार से भूमि बन्टन की शक्तियॉ वापिस ली जाकर यह शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित की गई हैं। "

स्पष्ट है कि वर्ष 2005 में नायव तहसीलदार को भूमि बन्टन के अधिकार नहीं थे । इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा आदेश दिनांक 28-3-11 में निकाले गये निष्कर्ष उचित होने के कारण आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 96/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-4-2011 से अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 96/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-4-2011 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर